

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 280 का उत्तर

सड़क उपरि पुलों/सड़क अधोगामी पुलों का निर्माण

\*280. श्री राजेश रंजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत पूर्णिया कोर्ट, सहरसा रेलवे खंड और बनमनखी-बिहारीगंज रेलवे खंड में स्थित रानीपत्रा, बेलौरी चौक रेलवे क्रॉसिंग, जनता चौक रेलवे क्रॉसिंग, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन क्षेत्र, कस्बा स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग, जलालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग, गढ़ बनैली रेलवे क्रॉसिंग, बनमनखी रेलवे क्रॉसिंग, जानकीनगर रेलवे क्रॉसिंग, रुपौली हाल्ट पर स्थित रुपौली रेलवे क्रॉसिंग तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत पूर्णिया-कटिहार रेलवे खंड पर सड़क उपरि पुलों/सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और
- (ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर सड़क उपरि पुलों/सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण की संभावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 280 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को स्वीकृति देना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इस तरह के कार्यों की रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गति क्षमता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव और व्यवहार्यता आदि पर इसके प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-26 (जनवरी, 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,024 अदद (बिहार राज्य में 571 अदद सहित)

01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में ₹1,14,196 करोड़ की लागत पर 4,802 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें बिहार राज्य में 10,981 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत 301 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना निर्माण और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। उल्लिखित स्थानों का विवरण इस प्रकार है:

स्थान	समपार का विवरण	वर्तमान स्थिति
रानीपतरा	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 20/7-8 पर समपार सं. केजे-11	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
बेलोरी चौक	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 25/2-3 पर समपार सं. केजे-13	ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य ₹45 करोड़ की लागत पर स्वीकृत किया गया है। यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएल) द्वारा

		एकल इकाई आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। इसके लिए ठेका दे दिया गया है।
जनता चौक रेलवे क्रॉसिंग	सहरसा-पूर्णिया रेलखंड पर किलोमीटर 4/5-6 पर समपार सं. 5	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
पूर्णिया कोर्ट स्टेशन क्षेत्र	कटिहार-पूर्णिया रेलखंड पर किलोमीटर 5/5-6 पर समपार सं. 6	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
कस्बा स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 35/4-5 पर समपार सं. केजे-20	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
जलालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 46/8-9 पर समपार सं. केजे-30	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
गढ़बनैली कस्बा	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 31/1-2 पर समपार सं. केजे-18	₹59 करोड़ की लागत पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
गढ़बनैली रेलवे क्रॉसिंग	कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर किलोमीटर 40/0-1 पर समपार सं. केजे-24	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
बनमनखी रेलवे क्रॉसिंग	बनमनखी यार्ड के पास किलोमीटर 37/2-3 पर समपार सं. 45	₹91 करोड़ की लागत पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

जानकीनगर रेलवे क्रॉसिंग	जानकीनगर-बनमनखी रेलखंड पर किलोमीटर 41/5-6 पर समपार सं. 52	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
जानकीनगर रेलवे क्रॉसिंग	मुरलीगंज-जानकीनगर रेलखंड पर किलोमीटर 44/5-6 पर समपार सं. 54	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
रूपाली रेलवे क्रॉसिंग	मुरलीगंज-जानकीनगर रेलखंड पर किलोमीटर 49/6-7 पर समपार सं. 61	इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

किसी भी ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कार्य को पूरा करना पहुंच मार्गों संरेखण का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेख का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी परियोजना/कार्य स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, रेलवे ने कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

- सुचारु निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

- ii. ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के पदाधिकारियों की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- iii. डिजाइन अनुमोदन में देरी से बचने के लिए रेलवे वाले भाग पर सड़क के स्पैन के विभिन्न संयोजनों, विषमतलीयता और चौड़ाई के लिए अधिसंरचना ड्राइंग का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे त्वरित योजना निर्माण के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए सीधे ही अपनाया जा सकता है।
- iv. रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को जहां कहीं संभव हो, एकल इकाई आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई जाती है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकती है।

\*\*\*\*\*